तार : सनबोसेक, दिल्ली-92
Gram : CENBOSEC, Delhi-92
E-mail : cbsedli@nda.vsnl.net.in
Website : www.cbse.nic.in

Phones : 2209252-59
Fax : 2215826

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

"शिक्षा केन्द्र", 2 समुदाय केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092

Central Board of Secondary Education

(An autonomous Organisation under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
Shiksha Kendra, 2, Community Centre, Preet Vihar, Delhi-110092

पत्रांक CBSE/AFF/10486/2003/ 20221-23

दिनांक
Date 30/12/03

To. The Manager,
Central Academy,
Adarsh Nagar, Morar,
Gwalior – 474006 (MP)

Sub: Permission for change in school address - reg.

Sir,

This is with reference to your letter dated 5.12.2003 on the subject cited above. In this connection, I have been directed to convey the approval of the Competent Authority of the Board for change in school address from:

Central Academy, Adarsh Nagar, Morar, Gwalior – 474006 (MP)

To

✓Central Academy School, Adityapuram, Maharajpura, Opp. Deendayal Nagar, Gwalior – 474006 (MP)

The change in above school address is subject to the condition that the school will not run any branch or part thereof in the old address.

Yours faithfully,

(SURAJ PRAKASH SETHI)
JOINT SECRETARY (AFF)

C.B.S.E. HQ. (ORDN.)
Diary No.....
12 JAN 2004
Section.....

Principal
Central Academy School
CBSE Affiliation No.-1030137
Adityapuram Opp. D.D. Nagar, Gwalior (M.P.) India

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला ग्वालियर(म.प्र.)

क्रमांक/मान्यता/सी.बी.एस.ई./4/2003/ 8483 ग्वालियर, दिनांक 5-11-03

प्रति,

सचिव/प्रबंधक,
अशा0 सैन्ट्रल ऐकेडमी स्कूल,
आदित्यपुरम् महाराजपुरा, दीनदयाल नगर
के सामने ग्वालियर ।

विषय :- भवन/पता परिवर्तन की अनुमति विषयक ।

संदर्भ :- आपका पत्रक्र./सी.इ./129/2003-04/95 ग्वालियर, दिनांक

==xx==

विषयांकित्क्रम में संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु संबंधित बोर्ड के मापदण्डों की पूर्ति हेतु आपके द्वारा आदर्श नगर मुरार में संचालित विद्यालय का भवन परिवर्तन आदित्यपुरम् महाराजपुरा दीनदयालनगर के सामने ग्वा. कर लिया गया है । चूँकि विभाग द्वारा आपके विद्यालय को सी.बी.एस.ई.नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र क्र. एफ 73-67/97/ 20-5 भोपाल, दिनांक 17.12.97 द्वारा आदर्श नगर मुरार के पते पर दी गई थी ।

अत: उपरोक्त संबंध में उक्त भवन का पता में संशोधन निम्नानुसार किया जाता है, जो इस प्रकार है ।

सैन्ट्रल ऐकेडमी स्कूल, आदित्यपुरम् महाराजपुरा,
दीनदयान नगर के सामने ग्वालियर ।

सी.बी.एस.ई.नई दिल्ली द्वारा विद्यालय के पते में उक्त सुधार किया जाता है तो कार्यालय(विभाग) को कोई आपत्ति नही होगी ।

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला ग्वालियर

प्रतिलिपि :-
1. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल, प्रीत विहार, नईदिल्ली ।
को ओर सूचनार्थ ।

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला ग्वालियर

Principal
Central Academy School
CBSE Affiliation No.-1030137
Adityapuram Opp. D.D. Nagar, Gwalior (M.P.) India

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल 462004
-0-

क्रं0/एफ. 73-67/97/20-5 भोपाल, दिनांक दिसम्बर, 97

प्रति,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
शिक्षा केन्द्र-2,
प्रीत विहार,
नई दिल्ली 1100092

विषय:- अशासकीय सेन्ट्रल एकेडमी आदर्श नगर मुरार ग्वालियर को अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।

-=:00:=-

राज्य शासन अशासकीय सेन्ट्रल एकेडमी आदर्श नगर मुरार ग्वालियर को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल नई दिल्ली से संबंद्ध करने में इस शर्त पर अनापत्ति प्रदान की जाती है कि उक्त विद्यालय की कार्यकारिणी समिति के निर्णायक मण्डल में मध्यप्रदेश शासन का एक प्रतिनिधि मनोनीत किये जायेंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
ह/-
व्ही0एस0शालवार
अवर सचिव
म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ0क्रं0/एफ. 73-67/97/20-5 भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर, 97

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण, भोपाल, म0प्र0, पत्र क्र विद्या/पी/144/97/307, दि.24/
2. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, ग्वालियर,
3. प्रधानाध्यापक, अशासकीय सेन्ट्रो एकेडमी आदर्श नगर मुरार ग्वालियर,

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

16/12/97
व्ही0एस0शालवार
अवर सचिव
म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
16/12/97

Principal
Central Academy School
CBSE Affiliation No.-1030137
Adityapuram Opp. D.D. Nagar, Gwalior (M.P.) India

...

कार्यालय, जिला परियोजना समन्वयक

जिला शिक्षा केन्द्र, ग्वालियर

आवेदन क्रमांक: 179430 आवेदन का प्रकार : नवीनीकरण मान्यता मान्यता दिनांक - 01/03/2025

प्रति,

अध्यक्ष,

Jai Kali Shiksha Prasar Samiti

Central Academy School

MORAR(URBAN), ग्वालियर , मध्यप्रदेश

विषय:- **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।**

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक **22/01/2025** तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चात्वर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपके - **Central Academy School** स्कूल आईडी -PS17775 विकासखंड-**MORAR(URBAN)** को स्कूल का प्रकार **प्राथमिक सह माध्यमिक,** शिक्षण का माध्यम **अंग्रेजी** कक्षा **प्री प्राइमरी-नर्सरी** से **आठवीं** तक के लिए दिनांक **01/04/2025** से **31/03/2028** तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी :-

1. मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी।
2. स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों का पालन करेगा।
3. स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमे प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक् से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
5. सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
6. स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा-
 (क) आयु के सबूत के आभाव में ;
 (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चयात ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
 (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर |
7. स्कूल सुनिश्चित करेगा कि –
 (क) प्रायमरी स्कूल में किसी प्रवेशित बालक को स्कूल में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक निष्कासित नही किया जाएगा।
 (ख) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कक्षा 5 एवं 8 को छोड़कर अन्य कक्षाओं में बाधा रहित कक्षोन्नति प्रदान की जायेगी।
 (ग) किसी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक रूप से प्रताडित नहीं किया जाएगा;
 (घ) नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
 (ड.) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार दिव्यांग/विशेष आव`यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
 (च) अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित योग्यता अनुसार शिक्षक ही कार्यरत रखे जाये। स्कूल में अधिनियम की धारा 19 एवं 25 में उल्लेखित मापदंड़ों के पूर्ति करते हुये मान्यता अवधि तक शिक्षको की नियुक्ति की व्यवस्था बनाए रखी जायेगी।
 (छ) शिक्षको को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट उसके कर्तव्यों का पालन करना होगा;
 (ज) प्रायवेट शिक्षण की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।

(झ) भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-4 के अधीन विर्निदिष्ट सन्नियमों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था स्थापित हो।

(ञ) प्रतिवर्ष बच्चों से प्रभारित की जाने वाली फीस ऐसी रीति में अधिसूचित की जाए जो आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व निर्देशित की जाए तथा इसकी सूचना शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी को भी दी जाए। मध्यप्रदेश निजी विधालय विनियमन बोर्ड के नियमों के अनुसार ही फीस में बढोत्तरि की जा सकती है।

8. स्कूल समुचित प्राधिकारी व्दारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. स्कूल अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में बालकों का नामांकन करेगा।

10. स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गयीं-

1. स्कूल के भवन की स्थिति	**स्वयं का भवन**
2. स्कूल परिसर का क्षेत्रफल	**89000**
3. कुल निर्मित क्षेत्रफल	**50000**
4. खेल मैदान का क्षेत्रफल	**30000**
5. कक्षाओं के कमरों की संख्या	**31**
6. प्रधानाध्यापक कक्ष-सह-कार्यालय-सह-स्टोर कक्ष	**7**
7. लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक् प्रसाधन	**हाँ**
8. स्वच्छ पेयजल सुविधा	**हाँ**
9. मध्यान्ह भोजन के लिए रसोई घर	**1**
10. बाधा रहित प्रवेश की सुविधा	**हाँ**
11. पठन-पाठन सामग्री	**हाँ**
12. खेल एवं खेलकूद उपकरण	**हाँ**
13. पुस्तकालय की उपलब्धता	**हाँ**
14. शिक्षको की संख्या	**23**

11. लेखे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टड एकाउन्टेंट व्दारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला परियोजना समन्वयकको भेजी जाएगी।

12. आपके स्कूल को आवंटित मान्यता कोड नम्बर **17775** है। इस कार्यालय के साथ कसिी भी पत्राचार में यह कोड नम्बर संदर्भति कएि जाएं।

13. स्कूल ऐसी रिपोर्ट और जानकारी प्रस्तुत करेगा, जो स्कूल शिक्षा विभाग/राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा केन्द्र व्दारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशो का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तो की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।

14. यदि कोई शाला उसके छात्रों को वाहन की सुविधा उपलब्ध कराती है तो उसे सुनिश्चित करना होगा कि वाहन हेतु सरकार द्वारा यथा विहित सुरक्षा सन्नियमों का पालन हो रहा है। शाला को स्कूल बसों में महिला कंडक्टर की उपलब्धता के संबंध में समय-समय पर परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा।

15. सोसायटी/न्यास, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।

16. अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तो का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

भवदीय.

जिला परियोजना समन्वयक

जिला शिक्षा केंद्र

Digitally signed by Ravindra Singh Tomar
Date: 2025.03.01 18:33:09 +05:30
Reason: RTE school recognition
Location:

* मान्यता प्रमाण पत्र जिला परियोजना समन्वयक द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित है, भौतिक हस्ताक्षर की कोई आवश्यकता नहीं है।